उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

संख्या-1142/14-2-2016-20(4)/2016

लखनऊ: दिनांक: 23 जून, 2016

अधिसूचना

चूंकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16, सन 1927) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या-6288/14-2-4(15)-74 दिनांक-02,मार्च,1977 और 270/14-2-4(15)-74 दिनांक 22,फरवरी, 1978 द्वारा इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और चूंकि दावों को प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि व्यपगत हो चुकी है;

और चूंकि ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा तक रियायतें दी गयी हैं, जो राज्य सरकार की इच्छा पर वापस ली जा सकती हैं;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, 1897) की धारा-21 के साथ पठित भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा-20, के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-4952/14-2-2008-20(17)/2008, लखनऊ, दिनांक 25.11.2008 का अधिक्रमण करते हुये राज्यपाल घोषणा करते हैं कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'क' में उल्लिखित ग्राम कोटा की 12440.413हे0 भूमि को इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से आरक्षित वन होगा।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)

प्रमुख सचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/intra